



प्रसार भारती/Prasar Bharati
भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

फा.फ.सं.No.904/51/2019-20एपीआईओ/APIO(आरटीआई/RTI)/

दिनांक/Date: 11.07.2019

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय/Subject : दूरदर्शन के ए.आर. में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामांकन हेतु/Declaration of CPIO and Appellate Authority for A.R..

सक्षम प्राधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत ए.आर. के सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्री एस. के. मीना, उप निदेशक, (ए.आर.) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं ले. कर्नल कल्याण दास, उप महानिदेशक (प्रशा.) ए.आर. को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है/The Competent Authority, DG:DD, has accorded its approval to designate Shri. S.K. Meena, Deputy Director (A.R.) as Central Public Information Officer under Section 5(1) of Right to information Act, 2005 and Lt. Col. Kalyan Das, Deputy Director General (Admn.) (A.R.) as First Appellate Authority under Section 19 (1) of Right to information Act, 2005, in respect of all RTI matters pertaining to A.R. of DG:DD.

(राजेश कुमार गुप्ता/Rajesh Kumar Gupta)
उप निदेशक (प्रशा.) एवं आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI

सेवा में/To,

1. श्री एस. के. मीना, उप निदेशक, (ए.आर.) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, ए.आर., दूरदर्शन महानिदेशालय/ S.K. Meena, Deputy Director (A.R.) & CPIO A.R., DG:DD.
2. ले. कर्नल कल्याण दास, उप महानिदेशक (प्रशा.) ए.आर. एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी दूरदर्शन महानिदेशालय/ Lt. Col. Kalyan Das, Deputy Director General (Admn.) & First Appellate Authority (A.R.) DG:DD.

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. आई.टी. सेल से अनुरोध कि उपर्युक्त कार्यालय आदेश को www.ddindia.gov.in वेबसाइट के आरटीआई वेबपेज में सभी की जानकारी हेतु अपलोड कर दें/IT Cell : with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage of www.ddindia.gov.in for information of all concerned.

(राजेश कुमार गुप्ता/Rajesh Kumar Gupta)
उप निदेशक (प्रशा.) एवं आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI